दिनांक 28.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर निगम भिलाई के जोन 01 नेहरु नगर में सुपेला बाजार खटिया मार्केट, लक्ष्मी मार्केट, राजेन्द्र प्रसाद चौक, हार्डवेयर लाईन, मार्केट की 50 दुकानों का निरीक्षण करते हुए नेहरु नगर 3 प्रतिष्ठानों का चालान बनाया गया एवं जोन 02 वैशाली नगर में कैरीबैग को लेकर 6 प्रतिष्ठानों का चालान बनाया गया। आज की कार्यवाही में स्वच्छता निरीक्षक, जोन आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, उपअभियंता, सहायक राजस्व अधिकारियों ने संयुक्त टीम बनाकर शहर में सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निगम भिलाई द्वारा टाउनशीप को पॉलिथीन मुक्त बनाने के अभियान के तहत् आज दिनांक को पालिथीन, कैरीबैग की छापेमार कार्यवाही की गई जिसमें लगभग 5 किलो कैरीबैग जप्ती एवं 4 व्यापारियों पर 1600 रुपये जुर्माने की कार्यवाही की गई, साथ ही सेक्टर 6 सी मार्केट में 3 दुकानदारों से प्रतिबंध कैरीबैग की जप्ती की गई, एवं दोना, पत्तल के दुकान को कैरीबैग बेचते पाये जाने पर जुर्माना एवं जप्ती की कार्यवाही की गई, बोरिया गेट के चाईना मार्केट में विकास साव जिसपर पूर्व में भी 5 हजार का जुर्माना किया गया था उसके पास लगभग 1 किलो कैरीबैग एवं 5 अन्य व्यापारियों से पंचनामा कर की जप्ती के साथ 1 हजार का जुर्माना किया गया, जिनके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा। सेक्टर–4 ए मार्केट, रुंआबांधा सब्जी मार्केट, डी.पी.एस. चौक रिसाली के फल दुकानदारों, फारेस्ट रोड पर लगाने वाले फल ठेलों में भी कार्यवाही के दौरान प्रतिबंधित कैरीबैग जप्त किया गया साथ ही भविष्य में गलती दोहराने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। यह अभियान भिलाई टाउनशीप को पॉलिथीन मुक्त कराये जाने तक जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान वरिष्ट प्रबंधक जनस्वास्थ्य श्री के.के. यादव, सहायक प्रबंधक ए.के. बंजारा, व्ही.के. भोंडेकर, वेंकटेश्वर, गणेश नागराजू, सरत, रत्नाकर दलाई, एवं हमीद खान, प्रताप वर्मा उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी